न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/555

1. राजाराम पुत्र श्रीराम, जाति अहीर, निवासी नांगलमहता, तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्यारसी तथाकथित पुत्री मोतीराम पत्नि श्योताज सिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम जोनायचा कला, तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

–असल रेस्पोडेन्ट

2. दीपचन्द पुत्र कन्हीराम,
3. रामप्रसाद पुत्र कन्हीराम,
4. लाली पत्नि रामावतार पुत्रवधू कन्हीराम,
5. सतीश पुत्र रामावतार पौत्र कन्हीराम,
6. बबीता पुत्री रामावतार पौत्री कन्हीराम,
7. शर्मिला पुत्री रामावतार पौत्री कन्हीराम, जाति अहीर, निवासी नांगलमहता, तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।

–रेस्पोडेन्ट्स

8. नत्थूराम पुत्र झूथाराम,
9. चन्दगीराम पुत्र झूथाराम,
10. राजेन्द्र पुत्र लालचन्द पौत्र झूथाराम,
11. अशोक पुत्र लालचन्द पौत्र झूथाराम, जाति अहीर, निवासी नांगलमहता, तहसील नीमराना, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड।
12. गीता पुत्री लालचन्द पौत्री झूथाराम पत्नि रामानन्द, जाति अहीर, निवासी रिवाली, तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड।
13. सुमित्रा पुत्री लालचन्द पौत्री झूथाराम पत्नि कृष्ण सिंह, जाति अहीर, निवासी रिवाली, तहसील बहरोड, जिला कोटपूतली–बहरोड।
14. शशि पुत्री लालचन्द पौत्री झूथाराम पत्नि मांगेराम, ग्राम लाडपुर, तहसील कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा।
15. भूतेरी पुत्री लालचन्द पौत्री झूथाराम पत्नि सुबेसिंह, जाति अहीर, निवासी ग्राम लाडपुर, तहसील कोटकासिम, जिला खैरथल–तिजारा।
16. सरपंच, ग्राम पंचायत कान्हावास, पंचायत समिति नीमराना।
17. उप पंजीयक, नीमराना।

– तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर नीमराना, जिला अलवर निर्णय दिनांक 26.07.2023 अपील संख्या 12/2016 उनवान ग्यारसी बनाम राजाराम वगैरहा पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री विजय सिंह राठौड व श्याम बाबू पारीक, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री राजाराम चौधरी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री रोहित शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगा0 7 की ओर से।
4. श्री महेश चन्द्र शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 8 लगा0 15 की ओर से।
5. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 17 की ओर से।

निर्णय

दिनांक – 06.12.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर नीमराना, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 26.07.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने ग्राम पंचायत कान्हावास बाबत इंतकाल संख्या 19 वाके ग्राम कान्हावास, नीमराना के आदेश दिनांक 05.08.1971 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर नीमराना, जिला अलवर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर नीमराना, जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 26.07.2023 द्वारा अपील स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत कान्हावास, पंचायत समिति नीमराना के आदेश दिनांक 05.08.1971 बाबत इंतकाल संख्या 19 वाके ग्राम कान्हावास हाल नांगल महता निरस्त किया गया तथा जमाबंदी संवत 2025 में मृतक रूपराम के नाम दर्ज भूमि को रूपराम की विरासत के 1/3 भाग का मृतक झूथाराम के वारिसान के पक्ष में व 1/3 भाग कन्हीराम के वारिसान के पक्ष में एवं 1/3 भाग ग्यारसी पुत्री मोतीराम के पक्ष में मंजूर किये जाने के आदेश दिये गये तथा बैंक भार का अंकन संबंधित के हिस्से पर अंकित करने एवं ग्राम कान्हावास के खाता संख्या 194 व 195 में यादराम पुत्र श्रीराम दर्ज है जिसको राजाराम पुत्र श्रीराम पढे जाने एवं खाता संख्या 225 में सा0 फिदेडी दर्ज है जिसे सा0 देह किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर नीमराना, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 26.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट राजाराम पुत्र श्रीराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर नीमराना, जिला अलवर का निर्णय दिनांक 26.07.2023 निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि इंतकाल संख्या 19 दिनांक 05.08.1971 ग्राम पंचायत कान्हावास के विरूद्ध एक अपील 47 साल बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्यारसी द्वारा विद्वान तहत् न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत की गई कि रूपराम की मृत्यु के बाद उसकी विरासत का इन्तकाल तीनों पुत्रों के नाम से समान भाग में दर्ज व स्वीकृत होना चाहिए था लेकिन अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट के पिता श्रीराम ने रूपराम की विरासत का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही की और मोतीराम के स्थान पर स्वयं रूपराम का पुत्र बनकर इन्तकाल संख्या 19 में पटवारी हल्का से झूथाराम, कन्हीराम और श्रीराम के नाम इन्तकाल दर्ज व स्वीकृत करवा लिया। जिस गलत इन्तकाल के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट के नाम मेरे पिता मोतीराम का 1/3 हिस्सा दर्ज चला आ रहा है जो मिन अपीलान्ट के हक हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर है। मिन अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट के पिता के कोई लड़का नही था एक मात्र मिन अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट लड़की थी। इसलिए रूपराम की विरासत का इन्तकाल 1/3 हिस्सा मिन अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज होना चाहिए था। रेस्पोडेन्ट/अपीलान्ट के पिता ने चालाकीवश मृतक रूपराम की खातेदारी आराजी साबिक ख.नं. 272, 273, 288, 289, 328, 338, 411, 412, 425, 426, 811, 959, 992, 1034, 287 वाके ग्राम कान्हावास जिनके हाल ख.नं. 446, 447, 550, 549, 626, 627, 645, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 841, 842, 840, 846, 844, 797, 798, 966, 1422, 1788, 1863, 1879 वाके ग्राम कान्हावास नया गांव नांगल महता को अपने नाम दर्ज करवा लिया। जिस आराजी में मिन रेस्पोडेन्ट/अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था। लेकिन मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/3 हिस्सा छोड़ दिया गया। मिन अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी 1/3 हिस्से की आराजी को बंटाई पर काश्त करती रही और सन् 2013 में साबित रिकार्ड की नकल लेने पर जानकारी प्राप्त हुई कि उसमें मोतीराम का हिस्सा दर्ज नही है। जिस पर इस्तकरारहक व हुक्मईम्तनाई दवामी का दावा तहत् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और इन्तकाल संख्या 19 की नकल नही मिली। जो नकल 15.09.2016 को प्राप्त हुई। जिससे अपील तहत् न्यायालय में प्रस्तुत की गई। तहत् न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट ने स्पष्ट रूप से इंकार किया कि अपीलान्ट ग्यारसी देवी मोतीराम की लडकी नही है क्योकि मोतीराम शादीशुदा नही था और जब वो शादीशुदा नही था तो ऐसी स्थिति में ग्यारसी नाम की लडकी होने का प्रश्न ही पैदा नही होता। तहत् न्यायालय ने ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

तहत् न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपील इन्तकाल संख्या 19 दिनांक 05.08.1971 के विरूद्ध 47 साल बाद प्रस्तुत की है। जिसमें 47 साल बाद अपील प्रस्तुत करने का कोई युक्तियुक्त कारण भी दफा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। विद्वान तहत् न्यायालय ने अपील इन्तकाल संख्या 19 दिनांक 05.08.1971 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जबकि इन्तकाल नं 19 दिनांक 05.08.1969 को दर्ज व तस्दीक किया गया है। इन्तकाल संख्या 19 दिनांक 05.08.1971 ग्राम पंचायत कान्हावास द्वारा तस्दीक किया ही नही गया तो विद्वान तहत् न्यायालय ने उसे किस आधार पर निरस्त कर दिया। यह भी अपने निर्णय में दर्ज नही किया गया है। तहत् न्यायालय द्वारा बिना राजस्व रिकार्ड अवलोकन किये व इन्तकाल का अवलोकन किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इन्तकाल संख्या 19 दिनांक 05.08.1969 के विरूद्ध आज तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहत् न्यायालय में प्रस्तुत अपील में यह स्वीकार किया गया है कि उसने एक दावा तहत् न्यायालय में इस्तकरारहक व हुक्मईम्तनाई दवामी का सन् 2013 में प्रस्तुत कर दिया था और जिस दावे के जिमन नं0 5 में इन्तकाल संख्या 19 की जानकारी होना कथन किया है ऐसी स्थिति में सन् 2016 में इन्तकाल के विरूद्ध अपील किया जाना स्वतः ही अपील मियाद बाहर थी। जब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने दावा इस्तकरारहक व हुक्मईम्तनाई दवामी विवादित आराजी के सम्बन्ध में सन् 2013 में तहत् न्यायालय में दायर कर दिया था तो ऐसी स्थिति में तहत् न्यायालय को इन्तकाल की कार्यवाही को स्थगित किया जाना कानूनन आवश्यक था क्योकि इन्तकाल की कार्यवाही एक फिसकल प्रोसेडिंग है और पक्षकार के हक व हकूक व अधिकार दावें में ही तय किये जाते है। जिसके लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने नियमित वाद तहत् न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जो आज दिनांक तक विचाराधीन है लेकिन तहत् न्यायालय ने इस अहम् बिन्दु पर गौर नहीं किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मृतक मोतीराम की पुत्री बनकर तहत् न्यायालय में अपील व दावा दायर किया लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मोतीराम की पुत्री होने का कोई भी दस्तावेज तहत् न्यायालय में प्रस्तुत नही किया। तहत् न्यायालय ने भी मात्र ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जबकि ग्राम पंचायत ने कन्हीराम की पत्नि शरबती होना दर्शाया है तथा मोतीराम की पत्नि को भी शरबती होना दर्शाया गया है जबकि मोतीराम अविवाहित था तो उसके शरबती के नाम की पत्नि होने का प्रश्न ही पैदा नही होता था लेकिन समस्त कार्यवाही कन्हीराम के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 7 से मिलकर कराई है। जो मृतक मोतीराम का हिस्सा भी हडप करना चाहते है। जबकि उनकों सारी जानकारी होते हुए इस प्रकार की कार्यवाही कानूनन नहीं करनी चाहिए थी। सरपंच ग्राम पंचायत, कान्हावास जो कि मात्र 35 साल की गांव की पुत्रवधू है जो गांव के बुजुर्गों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नही रखती है। मोतीराम का स्वर्गवास काफी अरसे पूर्व हो चुका था।

विद्वान तहत् न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में भी मोतीराम की पुत्री ग्यारसी देवी को फौत होना दर्शाया गया है और कन्हीराम की पत्नि को सजरे में नहीं दर्शाया गया है सजरे में मात्र मोतीराम की पत्नि शरबती देवी व ग्यारसी देवी को दर्शाया गया है और दोनों को फौत होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में तहत न्यायालय में अपील किस ग्यारसी ने प्रस्तुत की है यह जाहिर नहीं। तहत् न्यायालय ने मिन अपीलान्ट द्वारा 01.06.2023 को प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत की थी। जिसके जवाब व बहस के लिए 13.06.2023 की तारीख नियत की गई थी और पुनः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 19.06.2023 नियत की गई। दिनांक 19.06.2023 की आदेशिका से स्पष्ट है कि पत्रावली वास्ते बहस 22.06.2023 नियत की गई और उसके पश्चात् आदेशिका में फेरबदल करते हुए आपत्ति पर सुना गया, जिसमें खारिज की जाती है का अंकन किया गया था। आदेशिका से स्पष्ट है कि यह लाईन बाद में बढ़ाई गई है आपत्ति किस आधार पर खारिज की गयी। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है केवल एक लाईन में आपत्ति को खारिज करना दर्शाया गया है। दिनांक 22.06.2023 को मोहर (अपठित) लगी हुई है और दिनांक 26.07.2023 को अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। जिस आदेशिका में स्पष्ट अंकित किया गया है कि बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने दरखास्त पेश की एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट स्वीकार की जाती है निर्णय पृथक से लिखाया गया। उक्त आदेशिका से भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने क्या दरखास्त प्रस्तुत की उसका कोई हवाला नहीं है और बहस पक्षकारों की सुनी गई या अकेले अपीलान्ट की सुनी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

गई। यह भी स्पष्ट नही है और उसी दिन बहस सुनकर और अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है। जिससे साफ जाहिर है कि अपीलान्ट की बहस न सुनकर रेस्पोडेन्ट से मिलकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। विद्वान तहत् न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया है।

तहत् न्यायालय के समक्ष अपील इन्तकाल संख्या 19 दिनांक 05.08.1971 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। जिसमे केवल मात्र इन्तकाल को सही या गलत ठहराया जाना था लेकिन विद्वान तहत् न्यायालय ने जमाबन्दी सम्वत् 2025 के अनुसार रूपराम के वारिसान का विभाजन कर दिया और बैंक से लिये गये ऋण के सम्बन्ध में भी अपना विवेचन किया है। साथ ही साथ राजस्व रिकार्ड में भी दुरूस्ती करने के आदेश प्रदान किये गये है। इससे स्पष्ट है कि विद्वान तहत् न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विद्वान तहत् न्यायालय ने अपील 47 साल बाद स्पष्टतया मियाद बाहर प्रस्तुत की थी और जिसके लिए दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था लेकिन विद्वान तहत् न्यायालय ने धारा 5 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निर्णय ही नहीं किया और अपील का निर्णय कर दिया जबकि कानूनन सर्वप्रथम दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का निर्णय करना चाहिए और तत्पश्चात् अपील का निर्णय करना चाहिए लेकिन तहत् न्यायालय ने कानून की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। इन्तकाल की कार्यवाही के समक्ष तथाकथित ग्यारसी देवी पक्षकार नही थी इसलिए उसे इन्तकाल संख्या 19 के विरूद्ध अपील करने से पूर्व तहत् न्यायालय से अपील प्रस्तुत करने की इजाजत धारा 96 सी.पी.सी. के तहत् पेश करनी चाहिए थी लेकिन रेस्पोडेन्ट द्वारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ही नही किया गया और विद्वान तहत् न्यायालय ने इन समस्त कानूनी बिन्दुओं को नजरअन्दाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिस मोतीराम की पुत्री बनकर ग्यारसी देवी तहत् न्यायालय में उपस्थित हुई है उसे इतना भी ज्ञान नही है कि मोतीराम की मृत्यु कब कौनसे सन् में हुई। जबकि सही बात यह है कि मोतीराम की मृत्यु उसके पिता रूपराम के जीवनकाल में ही हो चुकी थी। यदि वास्तव में रेस्पोडेन्ट ग्यारसी मोतीराम की पुत्री होती तो वह आवश्यक रूप से रूपराम की मृत्यु के उपरान्त इन्तकाल दर्ज व तस्दीक आवश्यक रूप से कराती। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मोतीराम की विरासत से कोई सम्बन्ध, वास्ता व सरोकार नही है और ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विवादित आराजी में कोई अपना हक व हकूक रखती है वह गैर काबिज, गैर वास्ता शख्स है जिसका मोतीराम की विरासत से व आराजी मुतनाजा से कोई सम्बन्ध, वास्ता व सरोकार नही है। मिन अपीलान्ट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और सदैव से मिन अपीलान्ट ही आराजी मुतनाजा की लगान अदा करता चला आ रहा है तथा विवादित आराजी का पर्चा लगान भी झूथाराम, रामसिंह व राजाराम के नाम से जारी किया गया है। यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वास्तव में मोतीराम की लड़की होती तो वह पर्चा लगान सम्वत् 2043 से 2061 के समय अपना ऐतराज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करती। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का मोतीराम की विरासत से व विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सन् 2013 में तहत् न्यायालय में दावा दायर कर अपने आप को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहती है और दूसरी तरफ इन्तकाल संख्या 19 दिनांक 05.08.1971 की अपील कर मोतीराम की विरासत को अपने पक्ष में दर्ज कराना चाहती है जब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का दावा घोषणात्मक विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में इन्तकाल की कार्यवाही कानूनन नहीं चल सकती है। असल रेस्पोडेन्ट तहत् न्यायालय के निर्णय की आड़ में विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने की कोशिश में है। यदि किसी भी खातेदार की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तो उसे इन्तकाल की कार्यवाही के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता है लेकिन तहत् न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया और राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश देकर कानून की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली बहरोड का निर्णय दिनांक 26.07.2023 निरस्त फरमाया जावे व इन्तकाल संख्या 19 दिनांक 05.08.1971, (05.08.1969) बदस्तूर बहाल रखा जावे।

अतिरिक्त कलेक्टर

6. रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 2 लगा0 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना, जिला अलवर में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि अपीलान्टा व रेस्पोडेन्ट सं. 01 लगा. 15 मृतक रूपराम पुत्र सालिग के विधिक वारीसान है। रूपराम के तीन पुत्र झुथाराम, मोतीराम, कन्हीराम थे। इसलिए रूपराम की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का इंतकाल तीनों पुत्रों के नाम समान रूप में दर्ज व स्वीकृत होना चाहिए था। लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 01 का पिता श्रीराम जो परिवार में समझदार व चालाक किस्म का व्यक्ति था जिसने रूपराम की विरासत का इंतकाल दर्ज करवाने की कार्यवाही करते हुए मिन अपीलान्टा के पिता मोतीराम के स्थान पर स्वयं रूपराम का पुत्र बनकर व इंतकाल सं. 19 में पटवारी हल्का से सजरा में रूपराम के तीन पुत्र झुथाराम, कन्हीराम, श्रीराम दर्ज करवाकर इंतकाल स्वीकृत करा लिया व मिन अपीलान्टा के पिता का नाम जानबुझ कर छोड़ दिया गया। जिससे गलत इंतकाल के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में मिन अपीलान्टा के पिता मोतीराम का 1/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 01 के नाम दर्ज चला आ रहा है। जो मिन अपीलान्टा के हक हकूकों के खिलाफ बातिल व बेअसर है। मिन अपीलान्ट के पिता के कोई लड़का नहीं था, एक लड़की मिन अपीलान्टा ही पैदा हुई थी इसलिए मिन अपीलान्टा के दादा रूपराम की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का 1/3 हिस्से का इंतकाल मिन अपीलान्टा के नाम दर्ज होना चाहिए था लेकिन रेस्पोडेन्ट सं. 01 का पिता श्रीराम तेज, चालाक व चतुर किस्म का व्यक्ति था। जिसने मृतक रूपराम की खातेदारी आराजी साबिक ख.नं. 272, 273, 288, 289, 328, 338, 411, 412, 425, 426, 811, 959, 992, 1034, 287 वाके ग्राम कान्हावास जिनके हाल ख.नं. 446, 447, 550, 549, 626, 627, 645, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 841, 842, 840, 846, 844, 797, 798, 966, 1422, 1788, 1863, 1879 वाके ग्राम कान्हावास नया गांव नांगल महता को अपने नाम दर्ज करवा लिया। जो आराजी वादनी के दादा रूपराम की खातेदारी की थी जिसमें वादनी के नाम से 1/3 भाग का इंतकाल दर्ज होना चाहिए था, परन्तु श्रीराम ने चालाकी से स्वयं को रूपराम का पुत्र बनकर विरासत में अपना नाम दर्ज करवा लिया व मिन अपीलान्टा के नाम को छोड़ दिया। विवादित आराजी पर मिन अपीलान्टा अपने 1/3 हिस्से पर काबित रह कर बटाई पर काश्त करती रही है। अपीलान्टा को गलत इन्द्राजात की जानकारी सन् 2013 में होने पर अपीलान्टा ने साबिक रिकॉर्ड की नकले ली व अपने दादा की विरासत के इंतकाल को तलाश किया परन्तु उस समय इंतकाल की नकल नही मिली तो मिन अपीलान्टा ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष दावा इस्तकरारहक व हुक्मईम्तनाई दवामी का पेश कर दिया था। जिसके बाद मृतक रूपराम की विरासत का इंतकाल सं. 19 की नकल मिली है जो नकल दिनांक 15.09.2016 को लेकर वकील साहब को दी तो इंतकाल की अपील पेश करने की सलाह दी गई। जिसकी अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना, जिला अलवर में की गई। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना, जिला अलवर ने निर्णय दिनांक 26.07.2023 द्वारा अपील स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत कान्हावास, पंचायत समिति नीमराना के आदेश दिनांक 05.08.1971 बाबत इंतकाल संख्या 19 वाके ग्राम कान्हावास हाल नांगल महता निरस्त किया जाकर तथा जमाबंदी संवत 2025 में मृतक रूपराम के नाम दर्ज भूमि को रूपराम की विरासत के 1/3 भाग का मृतक झूथाराम के वारिसान के पक्ष में व 1/3 भाग कन्हीराम के वारिसान के पक्ष में एवं 1/3 भाग ग्यारसी पुत्री मोतीराम के पक्ष में मंजूर किये जाने के आदेश दिये गये तथा बैंक भार का अंकन संबंधित के हिस्से पर अंकित करने एवं ग्राम कान्हावास के खाता संख्या 194 व 195 में यादराम पुत्र श्रीराम दर्ज है जिसको राजाराम पुत्र श्रीराम पढे जाने एवं खाता संख्या 225 में सा0 फिदेडी दर्ज है जिसे सा0 देह किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 17 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.07.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना, जिला अलवर की आदेशिका दिनांक 01.06.2023 में अंकित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के वकील ने प्रारम्भिक आपत्ति पेश की। वास्ते जवाब/बहस पर दिनांक 13.06.2023 को पेश हो। तदुपरान्त दिनांक 19.06.2023 को आदेशिका में अंकित किया गया है कि पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22.06.2023 को पेश हो। उक्त के पश्चात भिन्न लिखावट में अंकित किया गया है कि आपत्ति को सुना गया। खारिज की जाती है। वास्ते बहस पत्रावली नियत होने के पश्चात आपत्ति को सुना जाना अंकित किया गया है, जो संदेह उत्पन्न करता है। लिखावट भिन्न होने से संदेह और गहरा हो जाता है। उक्त तथ्य की पुष्टि इससे भी होती है कि पत्रावली में आपत्ति खारिज करने बाबत कोई आदेश भी संलग्न नहीं है जबकि आपत्ति का निस्तारण आख्यापक एवं सकारण होना चाहिये। तत्पश्चात आदेशिका दिनांक 26.07.2023 में अंकित किया गया है कि वकील अपीलान्ट ने दर. पेश की। ऐसी कोई दर. पत्रावली में संलग्न नहीं पायी गयी है। उक्त दर. का निस्तारण किये बगैर ही पत्रावली में निर्णय किया गया है। प्रश्नगत अपील में वादग्रस्त भूमि के संबंध में घोषणा का दावा विचाराधीन होने तथा दावे में स्थगन होने बाबत विवरण भी उपलब्ध है। जब प्रश्नगत भूमि के संबंध में घोषणा का दावा विचाराधीन है तथा दावे में स्थगन है तो ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण के माध्यम से रिकार्ड में फेरबदल किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील लगभग 47 वर्ष पश्चात पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना, जिला अलवर के निर्णय में मियाद के बिन्दु पर भी कोई विवेचनात्मक एवं निष्कर्षात्मक टिप्पणी उपलब्ध नहीं है, जबकि मियाद के बिन्दु को तय किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। नामान्तरकरण की अपील में इन्द्राज दुरूस्ती तथा घोषणात्मक अनुतोष भी प्रदान किया गया है, जबकि यह तथ्य दावे में ही साबित हो सकता है कि ग्यारसी किसकी जाईन्दा पुत्री है. तथा प्रश्नगत भूमि जो रूपराम के नाम थी के वारिस कौन–कौन है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना, जिला अलवर के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो कानूनन आवश्यक है। प्रकरण में वाद ग्रस्त भूमि के संबंध में जो भी अधिकार तय होने है वे दावे में ही तय हो सकते हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना, जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 निरस्त किया जाता है।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ दिनांक 26.07.2023 निरस्त किया जाता है तथा सरपंच, ग्राम पंचायत कान्हावास, पंचायत समिति नीमराना के आदेश दिनांक 05.08.1971,(05.08.1969) बाबत इंतकाल संख्या 19 वाके ग्राम कान्हावास हाल नांगल महता बहाल रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
(डॉ. प्रदीप कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 06.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर